

अचल सम्पत्ति की बिक्री हेतु सार्वजनिक सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन व प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी एक्ट) 2002 के तहत अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री नोटिस, प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पढ़ा जाता है

यह कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी एक्ट) 2002 की धारा 13(2) संपठित नियम 8 व 9 प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में विभिन्न ऋणकर्ता(ओं)/गारण्टीकर्ता(ओं) को मॉग पत्र जारी किया गया जिसमें बकाया धनराशि के ब्याज सहित कथित सूचना के 60 दिनों के अन्दर भुगतान करने की माँग की गयी थी। यह कि निम्नलिखित ऋणकर्ता(ओं)/गारण्टीकर्ता(ओं) बैंक की बकाया धनराशि का भुगतान करने में असमर्थ रहे। अतः एतद्वारा ऋणकर्ता(ओं)/गारण्टीकर्ता(ओं) और सर्वसाधारण को यह सूचना दी जाती है कि प्राधिकृत अधिकारी उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उनको प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में नीचे वर्णित सम्पत्तियों का अधिपत्य कर लिया है, जिसका विवरण अधोवर्णित है ऋणकर्ता(ओं) को विशेष रूप से तथा और सर्वसाधारण को सामान्यतया सूचित किया जाता है कि इस सम्पत्ति में किसी भी प्रकार का लेन-देन ना करें यह सम्पत्ति उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के प्रभार के अध्याधीन है जिसमें नीचे लिखित राशि, ब्याज और अन्य खर्च देय है यह कि एतद्वारा सर्वसाधारण एवं ऋणकर्ता(ओं)/गारण्टीकर्ता(ओं) को पुनः यह सूचना दी जाती है कि प्राधिकृत अधिकारी ने हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत सथावर सम्पत्तियों की निविदा/ बीड्स/ कोटेशन आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। सम्पत्ति की बिक्री "जो है जैसी है", तथा "जहाँ है जैसा है" के आधार पर की जायेगी। अतः निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हुए इच्छुक व्यक्ति अपना टेण्डर बन्द निविदा के माध्यम से नीचे उल्लिखित विवरण के अनुसार उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय- बलिया - प्रथम में प्रस्तुत कर सकते हैं।

क्रम सं०	ऋणी/बंधकर्ता/जमानतदार का नाम, शाखा का नाम/ खाता संख्या	अचल सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना दिनांक/कब्जा दिनांक/ कब्जे का प्रकार पुनः प्राप्ति सूचना	बकाया धनराशि (रुपये में)	आरक्षित मूल्य/ धरोहर राशि (रु.) धरोहर दिनांक
1.	ऋणी - श्रीमती साक्षी राय पत्नी विवेक कुमार राय निवासी ग्राम/पोस्ट- करनई, जिला- बलिया जमानतदार- राणा प्रताप सिंह पुत्र ब्रम्हा नन्द सिंह निवासी ग्राम- सोनभद्र, पोस्ट- खरहाटार, जिला- बलिया बंधककर्ता/जमानतदार- साधना राय पत्नी सत्येन्द्र राय निवासी ग्राम/पोस्ट- रेपुरा, बलिया खाता सं०- 604405000000023, 604406000000021 शाखा: सुखपुरा	सम्पत्ति जो कि श्रीमती साधना राय पत्नी सत्येन्द्र राय के नाम में है यानि खाता संख्या- 787, प्लॉट नम्बर- 124, क्षेत्रफल- 183.6 वर्ग मीटर स्थित मौजा- अमृतपाली, तहसील- बलिया, जिला- बलिया चौहद्दी (विक्रय विलेख के अनुसार)- उत्तर- श्रीमती रेखा मौर्या की जमीन, दक्षिण- गणेश की जमीन, पूरब- लल्लन ठाकुर की जमीन, पश्चिम- गुवा की जमीन चौहद्दी वास्तविक (तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार)- उत्तर- किरन सिंह की जमीन, दक्षिण- रास्ता, पूरब- सुरेश की जमीन, पश्चिम- संजय जी की जमीन	29.04.2025 08.07.2025 भौतिक कब्जा पुनः प्राप्ति सूचना 19.08.2025	रु. 1831104.97 + ब्याज एवं अन्य खर्च 22.04.2025	3045000.00 304500.00 धरोहर दिनांक 27.10.2025 सांय 4 बजे तक

विक्रय के नियम एवं शर्तें- 1. इच्छुक निविदाकर्ताओं को अपनी निविदा बंद लिफाफे में (जिसके उपर प्रकाशन का दिनांक अंकित हो) देना है। 2. निविदा प्रस्तुतकर्ता को आरक्षित मूल्य का 10 प्रतिशत (धरोहर राशि) अग्रिम रूप से बैंकर्स चेक/ डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा जो प्राधिकृत अधिकारी उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय बलिया प्रथम के नाम देय हो निविदा पत्र के साथ सलंगन करें। अधिकतम नीलामी धनराशि (जो आरक्षित मूल्य से कम न हो) वाले निविदाकर्ता को सफल घोषित करते हुए असफल निविदाकर्ताओं कि धरोहर राशि बिना ब्याज के एक सप्ताह के अन्दर वापस कर दी जायेगी। 3. सफल निविदाकर्ता को निविदा राशि का 25 प्रतिशत (धरोहर राशि के सहित अगले दिन बैंकर्स चेक/ डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करना होगा तथा खरीद राशि का शेष 75 प्रतिशत का भुगतान उनको बिक्री के लिए स्वीकृति/पुष्टि के 15 दिनों के अन्दर प्रत्येक दशा में जमा करना होगा। यदि सफल निविदाकर्ता शेष राशि निर्धारित अवधि में जमा करने में असफल रहता है तो उसके द्वारा जमा की गयी समस्त राशियाँ जब्त कर ली जायेंगी। 4. प्राधिकृत अधिकारी को बिना कारण बताये अथवा पूर्व सूचना के समस्त निविदा को स्वीकार/अस्वीकार/ स्थगित/ निरस्त करने का अधिकार है। प्राधिकृत अधिकारी नीलामी की तिथि को आगे बढ़ा सकता है। 5. प्राधिकृत अधिकारी विक्रय सम्पत्ति से सम्बन्धित किसी चार्ज, लियन, इन्काम्बरेन्स, टैक्स, सरकारी ड्यूज, अन्य के प्रति जिम्मेदार नहीं होगा। प्राधिकृत अधिकारी किसी प्रकार के तृतीय / अन्य पक्षकार के क्लेम अधिकार एवं देनदारियों के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। 6. सम्पत्ति उसके आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जायेगी। सफल निविदाकर्ता सभी स्टाम्प, रजिस्ट्रेशन शुल्क आदि का वहन स्वयं करेगा। 7. यदि दो या दो से अधिक निविदा एक धनराशि की आती है तो प्राधिकृत अधिकारी को यह अधिकार होगा की यह उनके बीच आपस में पूनः बिडिंग कर ले। 8. निविदा / विक्रय बैंक के द्वारा पुष्टि होने के अधीन होगा। सम्पत्ति की नीलामी " जो है जैसी है" तथा " जहाँ है जैसी है" के आधार पर की जायेगी। 9. चूंकि उधारकर्ता/जमानतदार/बंधककर्ता दिनांक 19.08.2025 के पत्र के माध्यम से संपत्ति को भुनाने में विफल रहे हैं, वे नीलामी में भाग लेने के लिए पात्र नहीं हैं। यदि कोई ऋणी/जमानतदार नीलामी तिथि के पूर्व बैंक को देय राशि का पूरा भुगतान कर देता है तो उसकी सम्पत्ति की नीलामी रोक दी जायेगी। इस प्रकार Security Interest Enforcement Rule में 2002 (By the Security Interest/ Enforcement/ Amendment Rule) में, 2002 धारा 13 की उपधारा (8) के अन्तर्गत ऋणी/ जमानतदार को नीलामी तिथि से पूर्व बैंक को देय राशि का पूरा भुगतान कर देने की दशा में बंधक प्रतिभूति आस्ति को उन्मोदित कराने सम्बन्धी सभी अवसर उपलब्ध हैं। 10. यह निविदाकर्ताओं का उत्तरदायित्व है कि नीलामी में भाग लेने से पूर्व सम्पत्तियों का निरीक्षण कर पूर्ण रूप से संतुष्ट हो ले, सम्पत्तियों के निरीक्षण हेतु सम्बन्धित शाखा से पहले से समय लेकर किसी भी कार्य दिवस को दोपहर 2.00 बजे से 5.00 बजे तक सम्पर्क कर सकते हैं। 11. यह सेल नोटिस ऋणकर्ताओं/ गारण्टीकर्ताओं के लिये विशेष रूप से तथा जनता / सर्वसाधारण के लिए सामान्यतया रूप से है।